HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT
Notification

Dated The 6.2.2017

No. S.O. 2/3/2017- R II In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of section 417 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following rules, further to amend the Haryana Metropolitan Planning Committee Rules, 2011, namely :-

Short title 1. These rules may be called the Haryana Metropolitan Planning Committee (Amendment) Rules, 2016.

Composition 2. In the Haryana Metropolitan Planning Committee Rules, 2011, in rule 4, in sub- rule (2), -

i. for the sign "." existing at he end, the sign ":" shall be substituted; and

ii. after sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely :-

"Provided that when the Corporation or Zila Parishad in the metropolitan area is not in existence then the chairman of the committee may include eminent persons from their retrospective area in the ratio population of urban/rural area, in the committee till the elected members are included after elections of Corporation/Zila Parishad".

Anand M. Sharan,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department

हरियाणा सरकार
शहरी स्थानीय निकाय विभाग
अधिसूचना

दिनांक 6.2.2017

संख्या 2/3/2017– आर ।। हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16), की धारा 417 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा महानगर आयोजना समिति नियम, 2011 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1 ये नियम हरियाणा महानगर आयोजना समिति (संशोधन) नियम, 2016, कहे जा सकते हैं।

2 हरियाणा महानगर आयोजना समिति नियम, 2011 में, नियम 4 में, उप–नियम (2) में, –

(i) अंत में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा

(ii) अंत में निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु जब महानगर क्षेत्र में निगम या जिला परिषद अस्तित्व में नहीं हैं तो समिति का अध्यक्ष समिति में शहरी/ग्रामीण क्षेत्र की अनुपात जनसंख्या में इनके सम्बन्धित क्षेत्र से विख्यात व्यक्तियों को शामिल कर सकता है जब तक निगम/जिला परिषद के चुनावों के बाद निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं किए जाते हैं। "

आनन्द एम0 शरण,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ।